राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
गृह (सामान्य) विभाग
5वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

क्रमांक F.6/07/2023/गृह (जी)/ 3612-17 दिनांक:- 15/12/23

उप. सचिव (प्रश्न एवं समिति)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के संबंध में जो दिनांक 18.12.2023 को पूछा जाना है।

महोदय,

कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां संलग्न है।

यह माननीय गृह मंत्री की पूर्व अनुमति से जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

संलग्नक ऊपरोक्त अनुसार

उप सचिव (गृह)

क्रमांक F.6/07/2023/गृह (जी)/ 3612-17 दिनांक:- 15/12/23

जानकारी के लिए कॉपी:-

1. निजी सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 150 प्रतियों संलग्न।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

उप सचिव (गृह)

Scanned with CamScanner

विभाग का नाम: गृह विभाग

विभाग का पता : 5वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या : 171

दिनांक : 18.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री विजेंदर गुप्ता, एम.एल.ए

क्या गृह मंत्री हैं यह बताने की कृपा करेंगे की : श्री कैलाश गहलोत, गृह मंत्री

	प्रश्न		उत्तर
(क)	दिल्ली की जेलों में कैदियों व उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों का स्वीकृत अनुपात और वास्तविक स्थिति क्या है;	(क)	दिल्ली जेल नियमावली, 2018 के अनुसार, सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों का स्वीकृत सिधान्तः अनुपात 6 बंदीयों पर 1 सुरक्षा गार्ड है । दिनांक 12.12.2023 को कुल बंदी संख्या 20003 है । सुरक्षा गार्डों की स्वीकृत क्षमता 1885 तथापि वास्तविक संख्या 1481 है ।
(ख)	दिल्ली की प्रत्येक जेल में कैदियों के मुकाबले सुरक्षा गार्डों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;	(ख)	दिल्ली की जेलों में 333 सुरक्षा गार्डों के चयन के लिए विज्ञापन संख्या 03/23 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित किया जा चुका है ।
(ग)	क्या कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए जेलों में ही बाहरी रोगी विभाग की व्यवस्था है	(ग)	जी, हां । प्रत्येक जेल में कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के देखभाल के लिए एक डिस्पेन्सरी है जहां ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त जेल नं0 3, तिहाड़ एवं जेल नं0 13 मंडोली के अस्पतालों में भी विशिष्ट चिकित्सा के लिए ओपीडी की व्यवस्था हैं ।
(घ)	यदि हाँ, तो वर्ष 2009 से 2014 के बीच में कितने कैदियों को ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जेल से बाहर ले जाया गया है	(घ)	वर्ष 2009 से 2014 के बीच जेल से बाहर ओपीडी ट्रीटमेंट के भेजे जाने वा बंदियों का संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	ओपीडी दौरा
2009	291898
2010	279055
2011	256939
2012	242998
2013	268142
2014	284481

(ड)	कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी जांच (ओपीडी मरीज) के लिए जेल से बाहर अस्पताल ले जाये जाने के क्या कारण हैं	(ड)	कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी जांच (ओपीडी मरीज) के लिए जेल से बाहर अस्पतालों में तभी ले जाया जाता है जब उन्हें किसी अतिविशिष्ट ईलाज की आवश्यकता होती है जो कि जेल की डिस्पेन्सरी या अस्पताल में उपलब्ध नहीं है ।
(च)	क्या सरकार की कैदियों के बीच बिमारियों को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार करने की कोई योजना है;	(च)	जी, हां ।

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th></th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>दिल्ली की जेलों में कैदियों को रखने की कुल कितनी स्वीकृत व्यवस्था है और वास्तविक स्थिति में जेलों में कितने कैदी हैं, पूर्ण ब्यौरा दें;</td><td>(छ)</td><td>
<table>
<tr><th>जेल नं॰</th><th>स्थान</th><th>क्षमता</th><th>दिनांक 12.12.2023 को कुल संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>तिहाड़</td><td>565</td><td>2363</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तिहाड़</td><td>455</td><td>704</td></tr>
<tr><td>3</td><td>तिहाड़</td><td>740</td><td>2199</td></tr>
<tr><td>4</td><td>तिहाड़</td><td>740</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>तिहाड़</td><td>750</td><td>1064</td></tr>
<tr><td>6</td><td>तिहाड़</td><td>400</td><td>557</td></tr>
<tr><td>7</td><td>तिहाड़</td><td>350</td><td>652</td></tr>
<tr><td>8</td><td>तिहाड़</td><td>600</td><td>1140</td></tr>
<tr><td>9</td><td>तिहाड़</td><td>600</td><td>1162</td></tr>
<tr><td>10</td><td>रोहिणी</td><td>1050</td><td>1995</td></tr>
<tr><td>11</td><td>मंडोली</td><td>700</td><td>854</td></tr>
<tr><td>12</td><td>मंडोली</td><td>980</td><td>1259</td></tr>
<tr><td>13</td><td>मंडोली</td><td>980</td><td>1372</td></tr>
<tr><td>14</td><td>मंडोली</td><td>588</td><td>385</td></tr>
<tr><td>15</td><td>मंडोली</td><td>248</td><td>136</td></tr>
<tr><td>16</td><td>मंडोली</td><td>280</td><td>141</td></tr>
</table>
ये बंदी मुख्यतः (करीब 80 प्रतिशत) विचाराधीन वाले ही बंदी है ।
</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>क्या सरकार की दिल्ली में नई जेलों के निर्माण की कोई योजना है;</td><td rowspan="4">(ज) से (ट) तक</td><td rowspan="4">सरकार द्वारा नई जेल के निर्माण के लिए नरेला में 40.2 एकड़ की जमीन पर नया जेल परिसर बनाने की योजना है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त जमीन दिनांक 15.06.2022 को जेल विभाग को सौंप दी गई है । इस जेल परिसर में 3 या 4 जेलों के निर्माण के अतिरिक्त 256 बंदियों की क्षमता वाली एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की भी योजना है । भारत सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही हैं ।</td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>यदि हाँ, तो कहां-कहां विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराएं;</td></tr>
<tr><td>(ण)</td><td>इनमें से कितनी जेलों का निर्माण प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है और कब तक पूर्ण होगी, ब्यौरा दें; और</td></tr>
<tr><td>(ट)</td><td>जिन जेलों के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई, इस विफलता के क्या कारण हैं?</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

(आशा चौधरी मल्होत्रा)

अतिरिक्त सचिव (गृह)

ASHA CHAUDHARY MALHOTRA
Addl. Secretary (Home)
Govt. of NCT of Delhi
5th Level, 'C' Wing, Room No:505, Delhi Sectt.,
I.P. Estate
New Delhi-110002

Scanned with CamScanner